प्रेस नोट ***05/05/2026***

लडकी को बहला फुसला कर घर से भगा ले जाने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में आज दिनांक 05.05.2026 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर नदवासराय अण्डर पास के पास से मु0अ0सं0 170/2026 धारा 137(2) 351(4), 65(1), 62 बीएनएस व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त राजनाथ यादव पुत्र रामानन्द यादव निवासी कपरवार नई बस्ती थाना बरहज जनपद देवरिया को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1. राजनाथ यादव पुत्र रामानन्द यादव निवासी कपरवार नई बस्ती थाना बरहज जनपद देवरिया ।

अभियोग का विवरण–

1. मु0अ0सं0 170/2026 धारा 137(2) 351(4), 65(1), 62 बीएनएस व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट थाना घोसी जनपद मऊ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत, पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 05/05/2026 को जनपद समस्त सर्किलों के समस्त थानो के थाना प्रभारी/थाना अध्यक्षों, महिला बीट आरक्षियों द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0" के तहत एक विशेष जन-जागरूकता अभियान किया गया इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनपद की महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करना एवं उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु पुलिस की सक्रिय भूमिका को स्थापित करना है।

“सुरक्षित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर महिला ही सशक्त समाज की नींव होती है। मऊ पुलिस मिशन शक्ति अभियान को केवल औपचारिकता के रूप में नहीं, बल्कि जनहित में एक निरंतर प्रयास के रूप में देखती है और इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए लगातार प्रतिबद्ध रहेगी।”

महिला सुरक्षा हेतु हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई-

महिलाओं व छात्राओं को कानूनी अधिकार, सुरक्षा हेल्पलाइन नंबरों (जैसे 1090, 112, 181, 1930, 102 आदि) की जानकारी दी गई एवं किसी भी आपात स्थिति में उनसे कैसे सहायता प्राप्त की जा सकती है, यह भी विस्तार से बताया गया। तथा आत्मरक्षा के उपाय सिखाए गए।

इन संवाद सत्रों में सहज वातावरण में चर्चा करते हुए छात्राओं को उनके आसपास होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना और उस पर प्रतिक्रिया देना सिखाया गया।

महिलाओं में विश्वास और सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम-इस अभियान के माध्यम से पुलिस ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि महिला सुरक्षा एक सामूहिक दायित्व है,जिसमें पुलिस, समाज एवं परिवार की समान भूमिका होनी चाहिए।

पुलिस द्वारा चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों ने महिलाओं एवं बालिकाओं में भरोसे एवं आत्मविश्वास का वातावरण तैयार किया है।

थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से फ्रॉड हुए 5000/रु0 पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के आदेशानुसार, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में, क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय व प्रभारी निरीक्षक श्री कमलकांत वर्मा थाना मुहम्मदाबाद के निर्देशन में, थाना स्थानीय के साइबर पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के जांच के क्रम में आवेदक रवि पुत्र जय सिंह चौहान निवासी बराईपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ द्वारा साइबर पोर्टल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा यूपीआई के माध्यम से आवेदक से पैसे का फ्रॉड हो जाने के संबंध में शिकायत की जांच के क्रम में थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम की म0आ0 शालिनी मौर्य व म0आ0प्रिया सिंह द्वारा कार्यवाही करते हुए आवेदक के फ्रॉड की गई धनराशि 5000/रु0 को उसके खाते में वापस कराया गया।

पीड़ित /आवेदक के खाते से 70,000/- को साइबर टीम थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा पीड़ित के खाते मे कराया गया वापस –

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार जी के निर्देशन में साइबर फ्रॉड रोकथाम व जागरूकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी कोतवाली नगर श्री क्रिश राजपूत व थानाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर साईबर टीम द्वारा थाना स्थानीय की निवासी श्रेयस पांडेय थाना कोतवाली नगर से कुल /-70000 रु निवेश के नाम पर धोखे से ट्रांसफर करा लिए गये। पीड़ित द्वारा www.cybercrime.gov.in पर पूर्ण शिकायत दर्ज कराई जिसकी शिकायत संख्या 23104260067965 जो थाना कोतवाली नगर को प्राप्त हुई, जिस पर कार्यवाही करते हुए 70,000/- रुपये आज दिनांक 05.05.2026 को आवेदक श्रेयश पाण्डेय राशि 70000 /- रुपये को पीड़ित के खाते मे वापस कराया गया। पीड़ित ने साइबर टीम कोतवाली नगर तथा पुलिस विभाग की भूरि भूरि प्रशंसा की।

जनपद मऊ में पुलिस अधीक्षक मऊ के कुशल निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक मऊ के नेतृत्व में आई0एस0 गैंग -191 मुख्तार अंसारी गैंग के थानावार चिन्हित सदस्यों/सहयोगियों के सत्यापन सम्बन्धित अभियान में उनके विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण: -

दिनांक: 04.05.2026 को समय 18.00 बजे से देर रात्रि तक अभियान चलाकर संगठित/पेशेवर अपराधियों, माफियाओं के विरूद्ध सत्यापन की कार्यवाही की गयी जिसके तहत आई0एस0 गैंग -191 मुख्तार अंसारी गैंग के जनपद मऊ में थानावार चिन्हित कुल 161 सदस्यों/सहयोगियों में से 118 अपराधियों का सत्यापन किया गया। जनपद मऊ में विभिन्न थाने के माध्यम से कुल 09 पुलिस टीमों का गठन कर एक साथ कार्यवाही सम्पादित की गयी। यह कार्यवाही मुख्यत: थाना कोतवाली, सरायलखन्सी, दक्षिणटोला, घोसी, कोपागंज, मुहम्मदाबाद, रानीपुर, चिरैयाकोट, हलधरपुर, क्षेत्रों में की गयी, जिसके तहत जानकारी मिली कि आई0एस0 गैंग -191 मुख्तार अंसारी गैंग के -07 अभियुक्त जेल में 104 अभियुक्त जमानत पर, एवं 07 अभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है, 06 अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 126, 135 BNSS के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही प्रचलित है। संगठित अपराधियों व माफियाओं के विरूद्ध जनपद मऊ पुलिस द्वारा सुदृण कार्यवाही आगे भी निरन्तर जारी रहेगी।

एक शातिर वांछित अभियुक्त / हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व चोरी से सम्बन्धित माल मुकदमाती 540 रूपये बरामद ।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के द्वारा जनपद में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बराये रखने हेतु अपराध नियत्रंण के उद्देश्य से अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व **अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार** के कुशल पर्यवेक्षण व **क्षेत्राधिकारी नगर श्री क्रिश राजपूत** के कुशल निर्देशन में तथा **थानाध्यक्ष बसन्त लाल थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ** के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 05.05.2026 को समय करीब 11.10 बजे थाना दक्षिणटोला क्षेत्रान्तर्गत **एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व माल मुकदमाती 540 रूपये के साथ एक नफर शातिर चोर एवं वांछित अभियुक्त 1.** विपुल मधेशिया उर्फ अमन पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया सा0 डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ **उम्र करीब 28** वर्ष को उ0नि0 अरूण कुमार सिंह मय हमराह आवश्यक पुलिस बल द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान नेशनल हाइवे पर स्थित भदेसरा मोड़ थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ से गिरफ्तार किया गया । उक्त अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 47/26 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 में वांछित भी था । अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विभिन्न थानो मे कुल 06 मुकदमे दर्ज है तथा थाना का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है । क्षेत्र मे घूम घूम कर चोरी जैसे अपराध को कारित करने का अभयस्थ है ।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

  विपुल मधेशिया उर्फ अमन पुत्र स्व0 दुखन्ती मधेशिया निवासी डोमनपुरा कसारी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र 28 वर्ष

➢ पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 65/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला मऊ
अभियोग जिसमे वांछित था - मु0अ0सं0 47/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विपुल मधेशिया उर्फ अमन–

1. मु0अ0सं0 126/2025 धारा 3(1) गैगेंस्टर एक्ट थाना दक्षिण टोला मऊ।
2. मु0अ0सं0 28/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 336(3), 338, 340(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला मऊ।
3. मु0अ0सं0 47/2026 धारा 303(2), 317(2), 317(5) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला मऊ।
4. मु0अ0सं0 65/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण टोला मऊ।
5. मु0अ0सं0 206/2024 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर मऊ।
6. मु0अ0सं0 209/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर मऊ।
7. मु0अ0सं0 70/2025 धारा 303(2), 317(2), 317(4), 317(5), 336(3), 338, 340(2) बी0एन0एस0 थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ।

बरामदगी–

एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर व माल मुकदमाती 540 रूपये